

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 58/2019

1- भंवरी देवी पत्नी रामगोपाल जाति जांगिड़ निवासी गौरव पथ, लाडनूं तहसील
लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1- राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर
राज0।

2- तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोजेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरुद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 18/2017 बअनुवान राज्य
सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम रामनिवास निर्णय दिनांक
29.04.2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के
अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 18/2017 बअनुवान पटवारी हल्का
लाडनूं बनाम भंवरी देवी में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 के विरुद्ध पेश की
है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने
अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर
निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थीया ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर



ke
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

1639 रकबा 14-18 बीघा भूमि किस्म गैर मु0 खड्डा में से रकबा 00.09 बीघा भूमि पर संवत् 2074 में अप्रार्थीया/अपीलार्थीया द्वारा बाड़ा बनाकर, चार दीवारी कर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त/अप्रार्थीया को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/अप्रार्थीया द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.09 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्त/अप्रार्थीया द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीया को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.09 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रुपये के 50 गुणा से जुर्माना रुपये 11/- अक्षरे ग्यारह रुपये कायम किया गया।

{3} -अपीलान्त ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :-

{3}(1)-यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) -यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.4.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थीया के पति द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट सेंटलमेंट विभाग से सही माप चोप सहित रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया के बावजूद भी बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से



kl
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नगौर)

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.04.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब प्राथना पत्र के साथ संलग्न रेयस्त दस्तावेज के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थीया अपीलार्थीया द्वारा कय सूदा भूमि का इमारती पट्टा तत्कालीन जागीरदार ठिकाना लाडनूं द्वारा सम्वत 2008 का मिंगसर सूदी अष्टमी का लक्ष्मीनारायण, मनसुखलाल खीवंराज बेटा पोता भेरुबगस के नाम से का बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प-6''42'' राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1993 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। उपरोक्त पट्टाधीन भूमियां आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां हैं जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4)-यह है कि प्रार्थीया अपीलार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2005 को उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध द्वारा फलावट 8555.40 वर्गफुट भूमि है जिस पर कय दिनांक से ही प्रार्थीया अपीलार्थीया का साधिकार कब्जा अधिपत्य चला आ रहा होते हुए भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।


{3}(5) - यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलोच्य आदेश मे



Handwritten signature
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

वर्णित खसरा नम्बर 1639 से संबंधित भूमियों का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेको पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियों के विरुद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वेषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(6) - यह है कि जिस भू0अ0नि0की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया/अपीलार्थी को अतिक्रमी माना है जो उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1639 एवं उक्त खसरान की विभाजित भूमियों एवं खसरा नम्बर 1851 व 1852 की मध्य सीमा से सीमाज्ञान शुरू करना बताया है जबकि उपरोक्त खसरा नम्बर 1851 व 1852 के मध्य कोई भी पुख्ता सीमाचिन्ह/मुटाम नहीं है जो कि आलौच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के पास ही स्थित है के चारों ओर सघन आबादी क्षेत्र होना बताया है जिससे मुख्य या निश्चित प्रमाणित बिन्दू से माप नहीं करके मौके पर रास्तों की खुली भूमि से ही जरीब चलाया जाना बताया है जबकि उपरोक्त रास्ते वर्तमान में न तो मूल राजस्व रेकार्ड में दर्शित है एवं न ही मूल नक्शा सीट में तरमीम सूदा है तथा न ही उनके सही स्थान पर मुताबिक रेकार्ड में दर्शित रास्तों का प्रमाणित होना माना जा सकता है। जिससे यह साबित है कि बिना प्रमाणिक बिन्दू से जरीब चलाकर किया गया माप सघन आबादी के मध्य सही होना असम्भव ही है


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



एवं गलत बिन्दू से किया गया माप के आधार पर सीमाज्ञान रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुये की गयी अतिक्रमण सम्बन्धी कार्यवाही काबिले खारिज फरमाई जानी योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

{3}(7) -यह है कि आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2013 में भी भूमि पर कब्जा काश्त तत्कालीन जागीरदार से प्राप्त पट्टाधारी लक्ष्मीनारायण के नाम दर्शाया गया है जो कि गिरदावरी एक राजस्व रिकॉर्ड होकर सरकारी दस्तावेज है जिससे भी प्रमाणित हे कि उपरोक्त भूमि पर वर्तमान काश्तकारी व भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने लागू होने से पूर्व ही साधिकार कब्जा काश्त तत्कालीन समय के कब्जाधारी के पास ही था जिससे प्रमाणित माना जाना चाहिये है कि उपरोक्त आलोच्य आदेश में गलत रूप से वर्णित अतिक्रमित बताई जा रही भूमि पर शुरू से ही कब्जा अधिकार पट्टाधारी का था एवं उपरोक्त पट्टाधारियों द्वारा समय समय अन्य क्रेताओं के पक्ष में उक्त भूमि बाड़ा आधारित हस्तान्तरित कर दी गयी हस्तान्तरित होते होते प्रार्थीया अपीलार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उपरोक्त भूमि को कय किया है तथा उपरोक्त भूमि को गिरदावरी सम्वत् 2013 में भी जागीर गैर मकबुजा के रूप में दर्शित किया गया है जो जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में पट्टा जारी किया गया था जो आबादी भूमि की आज दिन भी आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तावेजों को पंजीकृत भी किया गया है। जिसके बावजद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गए है जो सर्वप्रथम ही (न्याय दृष्टान्तों एवं कानूनी मशां अनुरूप) खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावे।



kl
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जौहाना (नागौर)

{3}(7) – यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पत्ति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तावेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजों का भी निरीक्षण व सत्यापन किया जाता रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय दृष्टान्तों एवं कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

{3}(8) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032-1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत कठित टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमाज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनुसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।




[Handwritten Signature]
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागर)

{3}(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विराधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी क्रेतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी रहे है उनके द्वारा उक्त क्यसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान व परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(10) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र लाडनूं के अधीन ओने वाली खसरान भूमियां जो रा.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में की जा रही थी को पुर्नग्रहित कर तत्कालिक खातेदारों अधिकारों को प्रयावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं के नाम दर्ज करवाये जाने की आम सूचना अपने पत्र क्रमांक 3691 दिनांक 27.01.2000 के द्वारा प्रकाशित करवाई थी उक्त नोटिस प्रकाशन में भी कस्बा लाडनूं के राजकीय भूमिया के खसरान भूमियों का प्रकाशन कराया गया था जो उक्त प्रकाशन में खसरा नम्बर 1639 की भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था चूंकि उक्त भूमि आबादी की भूमि होना स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा माना गया था एवं उपरोक्त खसरा नम्बर में अधिकाश रहवास निवास करने वाले लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण की अनुमति/तामिर निर्माण की अनुमति/स्वीकृति तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली पानी सड़क आदि निर्माण कार्य की स्वीकृति/अनापति भी स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती रही है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थानीय निकाय





अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीहवाना (नागौर)

की स्वीकृति से पक्के निर्माणात कर रहवास एवं निवास करने वाले अपीलार्थी के अलावा अन्य लोगों के विरुद्ध भी अतिक्रमण संबंधि प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जिससे भी उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

[3](11) - यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पटटाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

[3](12) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयवधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

किया जा रहा है तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।


{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील दिनांक 11.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दिनांक 15.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र क्रमांक 710 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ।

{5}- अपीलान्त ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया।

अपीलान्त ने दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 (2)सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया।

अपीलान्त की उक्त तीनों प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागरी)

करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानी निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत सारहीन होने से खारिज किये गये।

{6} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में ही पेश की गयी है। अपीलान्त ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.4.2019 को किया गया। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से या जानकारी होने पर नकल लेने से एक माह की होती है। अपीलान्त ने अपील की नकले 2.07.2019 को प्राप्त की तथा अपीलार्थीया ने बताया कि उसे निर्णय की जानकारी पहले नहीं थी अतः निर्णय की जानकारी नकल लेने से हुई होने से अपीलार्थीया को अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

{7}- वकील अपीलान्त की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पूर्णरूप से आबादी बस चुकी है तथा वादग्रसत आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से आबादी भूमि के रूप में खरीद की गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यों को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी आधार पूर्ण रूप से अपीलान्त के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 18/17 बअनुवान




ll
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डोडवाना (नागैर)

हल्का पटवारी लाडनूं बनाम भंवरी देवी में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

{8} – बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी कठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं से दिनांक 09.07.2021 को प्राप्त वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 नया ख0नं0 ऑनलाईन व अमल दरामद के पश्चात नया खसरा नम्बर 2936/1639 गै0मु0 खडडा व 1639 के 09 नये गै0मु0 आबादी में खसरे विभाजित अलग अलग तरमीम हो चुके है। पुराना व नया नक्शा तरमीम के पश्चात भंवरीदेवी पत्नी रामगोपाल जांगिड़ की भूमि 09 बिस्वा का मौका देखा गया व मौके पर उपस्थित भंवरीदेवी से अतिक्रमण भूमि का साक्ष्य सबूत मांगे गये तो भंवरीदेवी द्वारा अपनी भूमि क्य शुदा रजिस्ट्री व पुराना आबादी पटटा भूमि में से अपना पुराना प्लॉट बताया गया है। वह रजिस्ट्री की प्रति पेश की गई। मौके के अनुसार भंवरीदेवी की भूमि खसरा नम्बर 1639/1 गै.मु. आबादी भूमि के चिपती व खसरा नम्बर 1634 व गै.मु. सड़क गौरवपथ के मध्य में स्थित है, जिसमें चारदिवारी बनाई हुई है व उक्त भूमि के चारों तरफ मकानात आबादी बसी हुई हैं। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में खसरा नम्बर 2936/1639 गै0मु0 खडडा भूमि का हिस्सा है। वह नया खसरा नम्बर 2936/1639 दक्षिण दिशा में खाली है। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार भंवरी देवी जांगिड़ का प्लाट खसरा 2936/1639 गै0मु0खडडा भूमि के हिस्से में लगता है।

तहसीलदार लाडनूं की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि क्य शुदा रजिस्ट्री व पुराना आबादी पटटा भूमि में से बताया है जिसकी रजिस्ट्री भी पेश की है। मौके के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1639/1 गै.मु. आबादी भूमि के चिपती व ख0नं0 1634 व गै0मु0 सड़क गौरव पथ के मध्य में स्थित है जिसमें चार दिवारी बनायी हुई है। इस भूमि के चारों तरफ मकानात आबादी बनी हुई है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात एवं





अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागपुर)

नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जांच की जानी आवश्यक है।

:::: आदेश :::


अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण, जांच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।




(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डवाना (नागौर)